सैनिक कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर

राज्य सैनिक बोर्ड
की 13वीं बैठक की कार्यसूची

स्थान : राजभवन, जयपुर

दिनांक : 23 जनवरी 2020

समय : प्रातः 11.30 बजे

राज्य सैनिक बोर्ड (सैनिक कल्याण विभाग) का कम्पोजिशन

क.	**अध्यक्ष**	1	महामहिम राज्यपाल महोदय
ख.	**वरिष्ठ उपाध्यक्ष**	2	माननीय मुख्यमंत्री महोदय
ग.	**पदेन उपाध्यक्ष**	3	माननीय सैनिक कल्याण मंत्री महोदय
	उपाध्यक्ष	4	एफ.ओ.सी–इन–सी, वेस्टर्न नेवल कमाण्ड, मुम्बई
	उपाध्यक्ष	5	जी.ओ.सी–इन–सी साउथ वेस्टर्न कमाण्ड, जयपुर
	उपाध्यक्ष	6	ए.ओ.सी.–इन–सी साउथ वेस्टर्न एयर कमाण्ड,गॉधी नगर, गुजरात
घ.	**राजकीय सदस्य**	7	मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर
		8	प्रमुख शासन सचिव, राजस्व सैनिक कल्याण विभाग
		9	प्रमुख शासन सचिव, उद्योग विभाग
		10	प्रमुख शासन सचिव, प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा विभाग
		11	अध्यक्ष, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम
		12	प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग,
		13	प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग
		14	शासन सचिव, कार्मिक विभाग
		15	शासन सचिव, यातायात विभाग
		16	शासन सचिव, उर्जा विभाग
		17	महानिदेशक, आरक्षी, राजस्थान, जयपुर
		18	डॉयरेक्टर जनरल रीसेटलमेंट, नई दिल्ली
		19	जी0ओ0सी0 61 सब एरिया, जयपुर
		20	प्रतिनिधि, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
		21	आयुक्त, उपनिवेशन विभाग, बीकानेर
		22	निदेशक, श्रम एवं रोजगार विभाग
		23	डॉयरेक्टर, रीसेटलमेंट, सदर्न जोन, पुणें
		24	अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, जयपुर
		25	प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, जयपुर,
ड	**अराजकीय सदस्य** (17.09.2018 से 3 वर्ष के लिए)	26	ले0 जनरल नन्द किशार सिंह, PVSM, UYSM, AVSM, VSM उदयपुर
		27	ले0 जनरल सुशील गुप्ता, PVSM,AVSM, VSM गली नं. 6, गुरू जम्बेश्वर नगर, जयपुर
		28	मेजर जनरल महावीर सिंह 18, संग्राम कालोनी, महावीर मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर
		29	कर्नल बाबू खां, SM 345, खत्री स्वीटम होम, नंदवन चौपासनी, जोधपुर
		30	कैप्टन गज सिंह, अलसीसर हवेली होटल, संसार चन्द्र रोड, जयपुर।
		31	कर्नल महेन्द्र सिंह जोधा, महादेव कृषि फार्म, वीपीओ अकोडिया वाया एपी कालू तह0 जैतारण, पाली
च.	**सदस्य सचिव**	32	निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग, जयपुर

महामहिम राज्यपाल महोदय की अध्यक्षता में राजभवन, जयपुर में दिनांक 23 जनवरी 2020 को प्रातः 11.30 बजे आयोजित की जाने वाली राज्य सैनिक बोर्ड की 13वीं बैठक की कार्यसूची

बिन्दू संख्या –1 **विगत बैठक की कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं उसकी प्रगति**

दिनांक 28.10.2014 को सम्पन्न 12वीं बैठक की कार्यवाही विवरण पुष्टि हेतु प्रस्तुत हैं। कार्यवाही विवरण एवं उसकी प्रगति परिशिष्ट 'क' पर संलग्न हैं ।

बिन्दू संख्या –2 **शौर्य पदक से अलंकृत सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों को राजस्थान परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा**

पुलिस पदकों से अलकृत अर्द्ध सैनिक बलों (बीएसएफ, सीआरपीएफ व आरएसी) के कार्मिकों को राजस्थान परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की जा रही है परन्तु शौर्य पदकों से अलंकृत सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान नहीं की जा रही है।

वर्ष 2004 में सशस्त्र सेनाओं के शौर्य पदकों के अलंकृत कार्मिकों को भी निःशुल्क बस पास की सुविधा प्रदान की गई थी परन्तु मात्र चार माह पश्चात ही राज्य सरकार द्वारा इन आदेशों को निरस्त कर दिया गया। विभाग द्वारा शौर्य पदक धारकों को बस पास की सुविधा प्रदान किए जाने के बारे में विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर परिवहन विभाग को भिजवाया गया था परन्तु परिवहन विभाग द्वारा दिनांक 27 नवम्बर 2017 को अवगत करवाया गया है कि वित्त विभाग द्वारा इस प्रस्ताव पर असहमति प्रकट की गई हैं।

विभाग द्वारा फरवरी 2019 में अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन विभाग को पत्रावली भेजकर सशस्त्र सेनाओं के शौर्य पदक (परमवीर चक्र, अशोक चक्र, सर्वोत्तम चक्र सेवा मेडल, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, वीर चक्र, शौर्य चक्र, युद्ध सेवा मेडल और सेना/ वायु सेना/नौसेना मेडल) धारकों को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में निःशुक्ल यात्रा की सुविधा प्रदान करने का अनुरोध किया है। पत्रावली परिवहन विभाग में विचाराधीन है।

प्रकरण बोर्ड के अवलोकनार्थ व विचारार्थ प्रस्तुत है।

बिन्दू संख्या –3 **शौर्य पदक धारकों को भूमि के एवज में दी जाने वाली राशि 4.00 लाख रूपये से बढाकर राशि 25.00 लाख रूपये किये जाना बाबत।**

राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2019–2020 में शौर्य पदक विजेताओं को 25 बीघा भूमि अथवा भूमि के बदले 25 लाख रूपये नकद दिए जाने की घोषणा की गई तथा इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं।

बिन्दू संख्या –4 **दिनांक 01.11.1962 से 11.05.1988 व 01.01.1994 से 16.07.2006 के सेना मेडल धारको की विसंगति दूर किये जाने बाबत।**

सेना मेडल फोर गैलेन्ट्री दिनांक 17 जून 1960 से ही शौर्य पदकों की श्रेणी में आता है और यह साहस व वीरता के लिए ही अलंकृत किया जाता है। परन्तु राजस्थान शौर्य पुरस्कार (नकद पुरस्कार और भूमि अनुदान) नियम 1966 में इसे शामिल नहीं किया गया । सबसे पहले सेना मेडल फोर गैलेन्ट्री को राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ. 18(1)रेव/ग्रुप–7/ एसडब्ल्यू/85 दिनांक 23.5.1986 के तहत सेना मेडल धारकों को राज्य सरकार की सुविधा देना शुरू किया हैं। इससे पहले सेना मेडल फोर गैलेन्ट्री धारकों को राजस्थान राज्य सरकार द्वारा कोई सुविधा देय नहीं थी, जिसकी वजह से 1962, 1965 और 1971 के युद्धों के दौरान सेना मेडल धारक सुविधाओं से वंचित रह गये, जबकि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एफ.4(1)उप/95 दिनांक 28.8.2002 के तहत राष्ट्रपति पुलिस मेडल फोर गैलेन्ट्री और पुलिस मेडल फोर गैलेन्ट्री को राज्य सरकार द्वारा देय सुविधाएं 01.11.1962 से लागू है। अभी तक प्राप्त आंकड़ों के हिसाब से दिनांक 23.5.1986 से पहले के सेना मेडल धारकों, जिन्हें राशि और भूमि नहीं दी गई उनकी संख्या लगभग 100 है।

राज्य सरकार की अधिसूचना सं0 एफ.18(1)/रेव./ग्रुप–VII /एसडब्ल्यू/ 85 दिनांक 23.05.1986 के तहत सेना मेडल धारकों को राज्य सरकार द्वारा देय सुविधाओं के लिए शामिल किया गया और इसके तहत दो हजार रूपये नकद तथा दो हजार रूपये भूमि के बदले दिये जाने लगे। इसके पश्चात राज्य सरकार की अधिसूचना सं0 एफ. 4(13)/रेव./Col/87 दिनांक 12.05.1988 के तहत सेना मेडल धारकों को राज्य सरकार द्वारा देय सुविधाओं के तहत दो हजार रूपये नकद तथा 25 बीधा सिंचित भूमि या 50 बीधा असंचिति भूमि दी जाने लगी। अभी तक प्राप्त आंकड़ों के हिसाब से दिनांक 23.5.1986 से 11.05.1988 तक के सेना मेडल धारकों जिन्हें भूमि देय नहीं है उनकी संख्या लगभग 24 है।

तत्पश्चात राज्य सरकार की अधिसूचना सं0 एफ.4(1)Col/95 दिनांक 18.09. 1995 के तहत सेना मेडल धारकों को तीन हजार रूपये नकद तथा दो हजार रूपये भूमि के बदले दिये जाने लगे और इसकी प्रभावी तिथि 01.01.1994 कर दी गई। उक्त अधिसूचनाओं से प्रभावित सेना मेडल धारकों की संख्या लगभग 140 है।

राज्य सरकार की अधिसूचना सं0 एफ.4(1)उप/95 दिनांक 28.08.2002 की तरह ही एक समानता लाने के लिए सभी सेना मेडल फोर गैलेन्ट्री धारकों को यह सुविधा वर्ष 1960 से ही लागू करवा कर 17.06.1960 से 22.05.1986 तक जो सेना मेडल धारकों प्रभावित हुए है, यानि जिनकों नकद पुरस्कार या भूमि नहीं मिले हैं उनको उचित राशि व भूमि दिलवाना और सभी सेना मेडल धारकों को जिन्हें दिनांक 23.5.1986 से 11.05.1988 और दिनांक 01.01.1994 से 16.06.2006 के दौरान भूमि नहीं दी गई है उन्हें 25 बीधा सिंचित भूमि या 50 बीघा असिंचित भूमि आंवटन करने हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है जो वहॉ विचाराधीन है।

प्रकरण बोर्ड के अवलोकनार्थ व विचारार्थ प्रस्तुत है।

बिन्दू संख्या –5 **दिनांक 01.01.1994 से पूर्व व 17.07.2006 से 26.07.2016 के बीच युद्ध सेवा मेडल (सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल एवं युद्ध सेवा मेडल) धारकों को लाभ देने बाबत।**

Yudh Seva Medal (YSM) सीरीज (सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल एवं युद्ध सेवा मेडल) के पदकों को शौर्य पदक की श्रेणी में भारत सरकार द्वारा 26.1.1980 से शामिल किया गया था जबकि राजस्थान शौर्य पुरस्कार (नकद पुरस्कार और भूमि अनुदान) नियम 1966 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 18.09.1995 द्वारा दिनांक 01.01.1994 से YSM सीरीज पदक धारकों को शामिल किया गया। इससे पहले YSM सीरीज पदक धारकों को यह सुविधा देय नहीं थी। इसके बाद दिनांक 17.07.2006, 21.06.2008 एवं 09.07.1012 को जारी अधिसूचनाओं में YSM सीरीज पदक धारकों को शामिल नहीं किया गया है।

बजट घोषणा वर्ष 2016–17 के बिन्दु संख्या 232 की कियान्विति के क्रम में पत्र क्रमांक प.6(1)सै.क./2016 दिनांक 27.7.2016 द्वारा पुनः शामिल किया गया है। वरियता के क्रम में YSM सीरीज वीर चक्र सीरीज के ठीक बाद में आता है। YSM सीरीज से निम्न अवार्ड तथा सेना मेडल धारकों को इस अवधि में राज्य सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया था। इस दृष्टि से भी YSM सीरीज धारको को वंचित रखना उचित नहीं है। वर्तमान में प्राप्त आंकड़ों के अनुसार इस अवधि के 02 उत्तम युद्ध सेवा मेडल और 13 युद्ध सेवा मेडल बचते हैं जिन्हें कोई पुरस्कार राज्य सरकार द्वारा नहीं दिया गया।

उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए उक्त नियमों में YSM सीरीज पदक धारकों को अधिसूचनाओं में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग में विचाराधीन है।

प्रकरण बोर्ड के अवलोकनार्थ व विचारार्थ प्रस्तुत है।

बिन्दू संख्या –6 **मेन्शन–इन–डिस्पेचस धारको को दिनांक 25.11.1974 से पूर्व व 12.05.1988 से राजस्थान शौर्य पुरस्कार (नकद पुरस्कार और भूमि अनुदान) नियम 1966 के तहत राज्य सरकार द्वारा देय सुविधाओं में शामिल किये जाने बाबत।**

राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.4(2)रेव/D/SW/72 दिनांक 25.11.1974 (पृष्ठ 43/सी) में मेन्शन–इन–डिस्पेचस को राजस्थान शौर्य पुरस्कार (नकद पुरस्कार और भूमि अनुदान) नियम 1966 के तहत राज्य सरकार द्वारा देय सुविधाओं में शामिल किया गया और रूपये 1000/– नकद व 12.5 बीघा सिंचित भूमि या 25 बीघा असिंचित भूमि दिया जाने का भी प्रावधान किया गया।

राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.18(1)रेव/ग्रुप–VII/85 दिनांक 23.5.1986 के तहत उपरोक्त राशि में बढोतरी करते हुए रूपये 2000/– नकद और रूपये 2000/– भूमि के एवज में किये गये और 25 बीघा भूमि देने के प्रावधान को हटा दिया गया। राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.4(13)रेव/Col/87 दिनांक 12.5.1988 के तहत मेन्सन–इन–डिस्पेचस धारकों को उपरोक्त सुविधाओं से बिल्कुल ही निकाल दिया गया। केरल, मध्य प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, मेघालय को छोडकर शेष समस्त सभी राज्य

सरकारें भी मेन्सन–इन–डिस्पेचस के लिए नकद राशि या भूमि दी जा रही हैं । हर वर्ष राज्य के 7–10 सैनिकों को राष्ट्रपति द्वारा मेन्सन–इन– डिस्पेचस दिया जाता है।

दिनांक 25.11.1974 से पूर्व व 12.5.1988 से मेन्सन–इन–डिस्पेचस धारकों को राजस्थान शौर्य पुरस्कार (नकद पुरस्कार और भूमि अनुदान) नियम 1966 के तहत राज्य सरकार द्वारा देय सुविधाओं में (05 लाख रूपये नकद एवं 25 वीघा भूमि) पुनः शामिल किये जाने हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किया गया है, जहॉ यह विचाराधीन है।

प्रकरण बोर्ड के अवलोकनार्थ व विचारार्थ प्रस्तुत है।

बिन्दू संख्या –7 **<u>परम विशिष्ठ सेवा मेडल (PVSM), अति विशिष्ठ सेवा मेडल (AVSM) एवं विशिष्ठ सेवा मेडल (VSM) मेडल धारको को राज्य सरकार द्वारा देय सुविधाओं में शामिल करने बाबत।</u>**

परम विशिष्ठ सेवा मेडल (PVSM), अति विशिष्ठ सेवा मेडल (AVSM) एवं विशिष्ठ सेवा मेडल (VSM) मेडल शान्तिकाल में उत्कृष्ठ सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। अभी तक इन मेडल धारकों को राज्य सरकार द्वारा देय सुविधाओं में शामिल नहीं किया गया है। अतः इन मेडल धारकों को निम्नानुसार सुविधाऐं दिये जाने हेतु पत्रावली वित्त विभाग में विचाराधीन हैः–

क्रम.संख्या	पदक	राशि लाखों में
1.	परम विशिष्ठ सेवा मेडल (PVSM)	05.00
2.	अति विशिष्ठ सेवा मेडल(AVSM)	03.00
3.	विशिष्ठ सेवा मेडल (VSM)	02.00

प्रकरण बोर्ड के अवलोकनार्थ व विचारार्थ प्रस्तुत है।

बिन्दु संख्या – 8 **<u>राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में अनिवार्य प्राप्तांक की बाध्यता पूर्व सैनिकों के लिए समाप्त करना</u>**

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर तथा राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर के माध्यम से की जा रही भर्तियों के अन्तर्गत प्रतियोगी परीक्षा की लिखित परीक्षा में पूर्व सैनिकों के लिए न्यूनतम क्वालीफाईंग मार्कस सामान्यतः (40 प्रतिशत) की शर्त रखी जाती है, परन्तु पूर्व सैनिक इन लिखित परीक्षाओं में न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं कर पाते है।

सैनिक हमेशा घर–परिवार से दूर –दराज एवं दुर्गम इलाकों में तैनात रहकर देश की सेवा में लगे रहते है जहां पर उन्हें पढने लिखने एवं कोंचिग इत्यादि करने की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण पूर्व सैनिक प्रतियोगी परीक्षाओं की उतनी तैयारी नहीं कर पाते है, जितनी सामान्य वर्ग के अभ्यार्थ कोचिंग कक्षा अटेण्ड करते है। सैनिक 17 से 20 वर्ष की सैन्य सेवा करके सेवानिवृत होता है जो कि 20 वर्ष पूर्व दसवीं की परीक्षा उत्तीर्णी करके सेना में भर्ती होकर देश सेवा में व्यस्त रहता है। 15 से 20 वर्षो तक शिक्षा क्षैत्र से जुडा नहीं रहता है तथा उस समय के कोर्स व वर्तमान समय के कोर्स में भी काफी बदलाव आ जाने के कारण भी पूर्व सैनिक लिखित परीक्षा में न्यूनतम क्वालीफाई मार्कस नहीं ला पाते है, परिणामस्वरूप राज्य सरकार द्वारा निर्धारित भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित 12.5

प्रतिशत पदों का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हो पा रहा है तथा अधिकाशं पद रिक्त ही रह जाते है। उदाहरण स्वरुप, हाल ही में पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित ग्राम सेवक पद 456 पदों के विरूद्ध एक भी पूर्व सैनिक परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सका। लाईब्रेरियन के पद पद किसी भी पूर्व सैनिक का चयन नहीं हुआ तथा पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर बहुत ही कम पूर्व सैनिक उत्तीर्ण हो सके।

राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में अनिवार्य प्राप्तांक की बाध्यता पूर्व सैनिकों के लिए समाप्त करने हेतु प्रस्ताव कार्मिक विभाग को भेजा है जीॉ यह विचाराधीन है।

प्रकरण बोर्ड के अवलोकनार्थ व विचारार्थ प्रस्तुत है।

बिन्दू संख्या –9 माननीय की आज्ञा के उपरान्त अन्य बिन्दू।

महामहिम राज्यपाल महोदय की अध्यक्षता में राजभवन, जयपुर में दिनांक 28.10.2014 कों सॉय 10.00 बजें आयोजित राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड की 12वीं बैठक के कार्यवाही विवरण पर की गई प्रगति

कार्यवाही विवरण	प्रगति
बिन्दु संख्या – 1 **11वीं बैठक की कार्यवाही विवरण की प्रगति** राज्य कल्याण बोर्ड की 11वीं बैठक दिनांक 11.09.2008 की कार्यवाही विवरण (मिनिट्स) पर की गई कार्यवाही की प्रगति का अनुमोदन किया गया।	**पालना की जा चुकी हैं ।**
बिन्दू संख्या –2 **सेवारत सैनिकों के सेवा पूर्ण करने के अन्तिम वर्ष मे सेना से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) के आधार पर राज्य सरकार की भर्ती के लिए छूट प्रदान करने बाबत।** सेवारत सैनिकों के सेवा पूर्ण करने के अन्तिम वर्ष मे सेना से अनापत्ति प्रमाण पत्र ;छब्द्ध के आधार पर राज्य सरकार की भर्ती के लिए छूट प्रदान करने के संबंध में बैठक में विस्तृत चर्चा की गई। श्री आलोक गुप्ता, शासन सचिव कार्मिक ने इस संबंध में सहमति प्रकट करते हुए बताया कि निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग द्वारा एक विस्तृत प्रस्ताव कार्मिक विभाग को भिजवाया जावे ताकि नियमों में संशोधन किया जा सके।	**आदेश दिनांक 17.04.2018 को जारी कर दिये गये है।**
बिन्दू संख्या –3 **राज्य सरकार के अधीन विभागों मे श्रेणी 'ए' एवं 'बी' श्रेणी में पूर्व सैनिकों के नियोजन हेतु आरक्षण बाबत।** राजस्थान के विभिन्न विभागों में भूतपूर्व सैनिकों को पुनर्नियोजन में श्रेणी 'ए' एवं 'बी' के पदो पर अन्य राज्यों की तरह ही नियोजन में 05 एवं 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिये जाने संबंध में बैठक में विस्तृत चर्चा की गई। श्री आलोक गुप्ता, शासन सचिव कार्मिक ने इस संबंध में कहा कि अन्य राज्यों द्वारा पूर्व सैनिकों को दिए श्रेणी 'ए' एवं 'बी' में दिए जा रहे आरक्षण के विवरण एवं नियमों की प्रति के साथ एक विस्तृत प्रस्ताव निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग द्वारा कार्मिक विभाग को भिजवाया जावे ताकि नियमों में संशोधन किया जा सके।	**आदेश दिनांक 17.04.2018 को जारी कर दिये गये है।**
बिन्दू संख्या –4 **भूतपूर्व सैंनिको को सेना सेवा के दौरान जारी आर्म्स लाईसेन्स का नवीनीकरण बाबत** बैठक में चर्चा के दौरान श्री ओमेन्द्र भारद्धाज, महानिदेशक पुलिस द्वारा बताया गया कि भूतपूर्व	**आदेश दिनांक 11.11.2014 को जारी कर दिये गये है।**

सैनिको को हथियार के लाईसेन्स का नवीनीकरण करने के लिए पिछले स्थान से अनापत्ति प्रमाण पत्र ;छब्द्ध के नियम मे छूट प्रदान करने के लिए निमयों में संशोधन किया जाना उचित प्रतीत नही होता है तथा इसका दुरूपयोग भी हो सकता है। उन्होने यह भी सुझाव दिया कि सेवानिवृत्ति से पूर्व ही सैनिक की युनिट द्वारा हथियार के लाईसेंस का नवीनीकरण के संबंध में कार्यवाही की जा सकती है। आर्मी कमाण्डर ने सुझाव दिया कि अगर सैन्य सेवा से सेवानिवृत्त होने पर यूनिट कमाण्डर द्वारा जॉच कर अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया जाये तो लाईसेंस नवीनीकरण की आवश्यकता नहीं पडेगी। इस पर अध्यक्ष महोदय ने बताया कि यदि अनापत्ति प्रमाण पत्र के नियमों में छूट नही दी जा सकती है तो एनओसी मिलने में समय की बाध्यता क्यों नहीं हो सकती। अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह ने इस प्रस्ताव को विचार करने हेतु गृह विभाग को भिजवाने हेतु सुझाव दिया।	
बिन्दू संख्या –5 **<u>राजस्थान शौर्य पुरस्कार (नकद पुरस्कार और भूमि अनुदान) नियम 1966 के तहत युद्ध सेवा मेडल सिरिज धारको को शामिल करने बाबत।</u>** बैठक में इस संबंध में चर्चा के दौरान सभी सदस्यों ने यह सहमति दी कि राजस्थान शौर्य पुरस्कार (नकद पुरस्कार और भूमि अनुदान) नियम 1966 मे सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल एवं युद्ध सेवा मेडल धारकों को भी शामिल करने की सहमति प्रदान की और मंत्री महोदय ने नियमों में संशोधन के लिए प्रस्ताव भिजवाने हेतु निर्देश दिए	आदेश दिनांक 27.07.2016 को जारी कर दिए गए हैं।
बिन्दू संख्या –6 **<u>राजस्थान एक्स–सर्विसमेन कोरपोरेशन लिमिटेड की सर्विस चार्जेज की दरों मे वृद्धि बाबत।</u>** बैठक में चर्चा के दौरान श्री सुरेश दिनकर, विशिष्ठ शासन सचिव, वित्त ने बताया कि राजस्थान एक्स–सर्विसमैन कोरपोरेशन का गठन कम्पनी एक्ट 1956 के तहत हुआ है तथा सर्विस चार्ज बढाने से इनके मुनाफे पर टैक्स देय होगा और सरकार पर वित्तीय भार बढेगा। निदेशक सैनिक कल्याण विभाग ने बताया कि रेक्सको का उद्धेश्य पूर्व सैनिकों का कल्याण है, अतः इसे सिक्यूरिटी सर्विस के अलावा अन्य गतिविधियॉ जैसे कॉमर्शियल, ट्रेनिंग, औद्योगिक क्षेत्र में प्रसार कर पूर्व सैनिकों के पुनर्नियोजन में सहयोगी बनना चाहिए और इन	आदेश दिनांक 28.02.2018 को जारी कर दिये गये है।

गतिविधियों के संचालन हेतु धन की आवश्यकता है और यह भी तभी संभव है जब इनके सर्विस चार्ज बढाये जावें। सभी सदस्यों ने इस पर सहमति जताई तथा विशिष्ठ शासन सचिव वित्त ने रेक्सकों के सर्विस चार्ज बढाने के प्रस्ताव पर पुनः विचार हेतु वित्त विभाग को भिजवाने का सुझाव दिया।	
बिन्दू संख्या –7 **सशस्त्र सेना झण्डा दिवस के अवसर पर एकत्रित की जाने वाली दान/चंदा राशि बाबत।** बैठक के दौरान ब्रिगेडियर सुरेश कुमार शर्मा, निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग ने सशस्त्र सेना झण्डा दिवस के बारे में उपस्थित सदस्यों को अवगत करवाया और इस दिन एकत्रित राशि से युद्ध वीरागंनाओं एवं पूर्व सैनिकों के लिए संचालित कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी, जिसकी सभी उपस्थित सदस्यों ने सराहना की। चर्चा के दौरान एडमिरल वी एस शेखावत ने बताया कि झण्डा दिवस पर राशि दिया जाना स्वैच्छिक होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को आवश्यक रूप से झण्डा दिवस पर दान देने हेतु बाध्य किया जाना या उनके वेतन से अनिवार्य रूप से लिया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अतः इस प्रस्ताव को अनुमोदित नहीं किया गया। माननीय मंत्री महोदय ने चर्चा के दौरान सुझाव दिया कि झण्डा दिवस राशि में वृद्धि हेतु इसका व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावे तथा समाज के सभी वर्गों को अधिक से अधिक राशि स्वेच्छा से देने हेतु प्रेरित किया जावे। माननीय राज्यपाल महोदय ने इस पर सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि सैनिक एक विशेष वर्ग से होते हैं। इनके लिए जितना भी किया जावे, कम है। इसलिए इसके लिए प्रचार–प्रसार कर इसका संदेश सभी तक पहुंचाने का प्रयास करें। इसके साथ ही उन्होने सहृदयता से पूर्व सैनिकों एवं विधवाओं के कल्याण हेतु राज्यपाल महोदय के अधीन कोष से 03 लाख रूपये देने की घोषणा की। सभी सदस्यों ने इसके लिए माननीय राज्यपाल महोदय का आभार व्यक्त किया।	सशस्त्र सेना झण्डा दिवस के अवसर पर एकत्रित की जाने वाली दान/चंदा राशि में वृद्धि करने के लिए सैनिक कल्याण विभाग द्वारा पूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। जिला स्तर पर जिला कलक्टर एवं प्रशासनिक अधिकारियों एवं विभागों का सहयोग लिया जा रहा है। जिला सैनिक कल्याण अधिकारियों के लिए लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है। समाचार पत्रों एवं मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार कर जन साधारण में स्वैच्छिक एवं मुक्त हस्त से दान देने हेतु प्रेरित किया जा रहा है जिसके अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं
बिन्दू संख्या –8 **सैनिक कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर मे रिक्त पदों पर केवल भूतपूर्व सैनिकों को नियुक्त करने बाबत।**	राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन)

बैठक में इस बिन्दु चर्चा के दौरान सभी सदस्यों ने सहमति जताई कि सैनिक कल्याण विभाग में अन्य राज्यों की तरह पूर्व सैनिक ही नियुक्त होने चाहिए। श्री आलोक गुप्ता, शासन सचिव कार्मिक विभाग ने बताया कि सैनिक कल्याण विभाग राजस्थान सरकार के अन्य विभागों की तरह ही एक विभाग है जिसमें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण एवं रोस्टर के आधार पर कर्मचारियों का नियोजन किया जा सकता है। उन्होने यह भी बताया कि सैनिक कल्याण विभाग में सिर्फ पूर्व सैनिकों को नियोजन के संबंध में आवश्यक है कि अन्य राज्यों द्वारा इस संबंध में जारी नियमों की प्रति प्राप्त की जाकर निदेशक सैनिक कल्याण विभाग द्वारा एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया जावे ताकि उसके आधार पर नियमों में संशोधन की कार्यवाही करके सैनिक कल्याण विभाग में पूर्व सैनिकों की नियुक्ति की जा सके।	नियम, 1988 एवं संशोधित नियम, 1996 के अनुसार राज्य सरकार के सभी विभागों में ''सी'' ग्रेड पद के लिये 12.5 प्रतिशत एवं ''बी'' ग्रेड के पदों के लिये 15 प्रतिशत पूर्व सैनिकों के लिये आरक्षित है। अतः विभाग द्वारा सेवा नियमों में संशोधन करने के प्रस्ताव पर विचार किया जाना न्यायोचित नहीं है।
बिन्दू संख्या –9 **1.04.1999 के पश्चात ऑपरेशन रक्षक एवं विभिन्न काउन्टर इन्सरजेंसी ऑपरेशनों मे शहीद सैनिकों का देय (कारगिल पैकेज) के तहत भूमि के बदले 4.00 लाख रूपये की राशि में बढौतरी बाबत।** माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि उक्त राशि को बढाना आवश्यक है। वर्ष 1999 की तुलना में वर्तमान में बढी हुई महंगाई को ध्यान में रखते हुए वित्त विभाग को एक प्रस्ताव भिजवाया जावे। वित्त विभाग द्वारा भूमि के बदले 4.00 लाख रूपये की राशि को यथा संभव अधिकतम वृद्धि करते हुए आदेश जारी किए जावे ताकि शहीदों के परिजन लाभान्वित हो सकें।	दिनांक 16.03.2018 को आदेश जारी कर दिये गये है।
बिन्दू संख्या –10 **माननीय की आज्ञा के उपरान्त अन्य बिन्दू** :– माननीय राज्यपाल महोदय की आज्ञा से ले0 जनरल मानधाता सिंह ने प्रस्तावित किया कि फौज के गैलेण्ट्री अवार्ड विजेताओं को राजस्थान रोडवेज की बसों में फ्री पास यात्रा की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। माननीय मंत्री महोदय ने सुझाव की प्रशंसा की तथा प्रमुख शासन सचिव, परिवहन विभाग को निर्देश दिए कि वीरता पुरूस्कार धारकों को राजस्थान परिवहन निगम की बसों में फ्री पास की सुविधा देने हेतु नियमों ने संशोधन की शीघ्र कार्यवाही कर आदेश जारी करावें। माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा इसकी सहमति प्रदान की गई।	गैलेण्ट्री अवार्ड धारकों को निःशुल्क बस पास की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिया गया है जिसे राज्य सरकार द्वारा दिनांक 27.11. 2017 को अस्वीकृत कर दिया गया है।

बैठक के अन्त में माननीय राज्यपाल महोदय ने माननीय मंत्री महोदय की सैनिकों एवं वीरांगनाओं के प्रति उनकी भावनाओं की सराहना करते हुए कहा कि बैठक में लिए निर्णयों की शीघ्रातिशीघ्र क्रियान्विति करवाई जावे। इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों एवं सैन्य अधिकारियों की समिति का गठन किया जावे जिसमें निम्नलिखित अधिकारियों को शामिल किया जावे – **प्रशासनिक अधिकारी** 1. प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव, वित्त, 2. प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव, कार्मिक 3. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व एवं सैनिक कल्याण **सैन्य अधिकारी** 1. जीओसी, 61 सब एरिया 2. ले0 जनरल मानधाता सिंह, PVSM, AVSM, YSM (से0नि0) 3. निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग, जयपुर माननीय राज्यपाल महोदय ने निर्देशित किया कि समिति इस बैठक में लिए गए निर्णयों की क्रियान्विति हेतु एक योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें तथा प्रगति से माननीय राज्यपाल महोदय को अवगत करावें।	सैनिकों एवं वीरांगनाओं की समस्याओं के निराकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा आदेश क्रमांक प. 8(11)सै.क./78 पार्ट दिनांक 27.11.2014 द्वारा प्रशासनिक एवं सैन्य अधिकारियों की एक समिति का गठन किया गया है जिसकी समय–समय पर बैठकें आयोजित की गई हैं।